102

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, म0 प्र0 ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2016 पुर्नविलोकन निग्रु-2491-I-16

राजाराम पुत्र रामचरन यादव, ग्राम मौगना तहसील मोहनगढ़, जिला टीकमगढ़, (म.प्र.)

.... पुर्नविलोकनकर्ता/आवेदक

बनाम

1. श्रीमती रामकली खँगार, सरपंच ग्राम पंचायत मौगना तहसील मोहनगढ़ जिला टीकमगढ़, (म.प्र.)

.... अनावेदक कमांक 1

2. भारती इन्फाटेल लिमिटेड एच–3, चौथी मंजिल मेट्रो टॉवर विजयनगर चौराहा इंदौर हाल ग्राम मौगना तहसील मोहनगढ़, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

.... अनावेदक कमांक 2

दिनांक 28.7.16 को श्री पक्षकार की ओर से अभि0 द्वारा प्रस्तुत। 28.7.16 SO

Varun 27/7/16

पुर्नावलोकन याचिका अन्तर्गत धारा 51 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांकित 23.06.2016 जो प्रकरण कमांक 1271–दो/2016 में न्यायालय राजस्व मण्डल माननीय सदस्य (म.प्र.) द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत है।

माननीय महोदय,

पुर्नविलोकनकर्ता की ओर से पुनर्विलोकन याचिका सादर निम्नानुसार प्रस्तुत है:–

1. यहकि, पुनर्विलोकनकर्ता/आवेदक ग्राम मौगना स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1414 का अभिलिखित भूमि स्वामी है, इसी भूमि के अंश भाग पर तरतीवीं अनावेदक क्रमांक 2 द्वारा जन सुविधा की दृष्टि से मोबाईल टॉवर का निर्माण लगभग पूर्ण किये जाने की ओर है । यह कि सरपंच ग्राम पंचायत मौगना ने तहसीलदार मोहनगढ़ को इस आशय की आपत्ति दिनांक 06.01.2016 को प्रस्तुत की कि कंपनी ने ग्राम पंचायत गौर के क्षेत्र में टॉवर लगाया है। जिसके कारण ग्राम मौगना में सिग्नल अच्छे मिल रहे है। इसलिए मोबाईल टॉवर का निर्माण न किया जाये । तहसीलदार मोहनगढ़ ने प्रकरण क्रमांक 79 बी–121/15–16 में अंतिम आदेश दिनांक 07.01.2016 पारित किया तथा ग्राम मौगना में आवेदक की भूमि पर चल रहे

ा
न
क
43
यन

रिवी - 2491- ए/16 (तीसमार) Varu..

प्रस्तुतकार

16-8-16

निवेदक की ओर से श्री परगना वकील उपस्थित। आवेदक अधि. द्वारा प्रकरण आगे न ही चलाना चाहते हैं। आवेदक अधि. के निवेदन

[पीछे देखिये

आदेश के हस्ताक्षर

पर विचारोपरान्त उनका निवेदन स्वीकार किया जाता है। प्रकरण अधि. स्वा. पर Not Press में समाप्त किया जाता है।

(हस्ताक्षर)

अडीम

R